Comml. AJ- 217

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाणिज्य विभाग

क्रं–अ.वि.वि.नि.लि / मु. अ. (वा.) / अधि. अ.–I / फ. 57 / 2005 / प्रे. 508 दिनांक 11.5.05

आदेश

विषय :– रबी की फसल के दौरान हुई ओला वृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को फरवरी एवं मार्च, 2005 के बिजली के बिलों की राशि के भुगतान में छूट।

गत दिनों रबी की फसल के दौरान हुई ओलावृष्टि से अनेक गांवों में फसल नष्ट हो गई थी। राज्य सरकार के द्वारा ऐसे गांवों का सहायता विभाग द्वारा आंकलन करवाया जाकर इन गांवों को ओलावृष्ठि प्रभावित गांव घोषित कर दिया है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

1. ओलावृष्ठि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों से उनके माह फरवरी एवं मार्च, 2005 के विद्युत बिलों की राशि वसूल नहीं करनी है।
2. इसके अतिरिक्त, जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवादी है उस राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर दी जाए।
3. बिलों में दी गई छूट का पुनर्भरण राज्य सरकार के सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।

इस विषय में संबंधित अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर (सहायता) से संपर्क कर ओलावृष्ठि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्ताकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूची प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएंगें। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा फरवरी एवं मार्च, 2005 के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे।

यह आदेश निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते है।

Office of the Superintending ... AVVNL AJMER
606 ... Date
17/5 Tech 2
OS TA SE

(शिखर अग्रवाल)
प्रबन्ध निर्देशक

AJMER VIDYUT ... NIGAM LTD
(M & ...) ... AJMER
No: AVVNL/SE/M&... F 10 163 Date 18-5-05

प्रतिलिपि निम्न लिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है
(1) अधिशाषी अभियन्ता (ओ.डी.) अ.वि.वि.नि.लि., किशनगढ़/ब्यावर/...
(2) सहायक अभियन्ता (ओ.डी./एस.डी.-I, II/...) अजमेर/ब्यावर

XEN-1 Hindi

15

TA to SE (M&P)
O/C AVVNLtd. Ajmer

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (पवस), अजमेर डिस्काम, अजमेर।
2. संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), अजमेर डिस्काम,....................................
3. वित्तीय सलाहाकार, अजमेर डिस्काम, अजमेर
4. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्काम, अजमेर
5. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्काम, अजमेर
6. अधीक्षण अभियन्ता (पवस), अजमेर डिस्काम, अजमेर को .... अतिरिक्त प्रतिलिपि अधिनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु
7. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स / प्लान / एमएम) अजमेर डिस्काम, ...अजमेर..........
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्काम, अजमेर
9. अधिशाषी अभियन्ता ( ), अजमेर डिस्काम
10. वरिष्ट / लेखाधिकारी ( ), अजमेर डिस्काम
11. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्काम, अजमेर
12. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्काम, अजमेर

(आर.सी. केसवानी)
अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य–I)